

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :-प.17(1)/नविवि/अभियान/2021

जयपुर, दिनांक :- 28-08-2023

कार्यालय आदेश

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कार्मिकों के चयन हेतु निम्न दिशानिर्देश जारी किये जाते हैं :

1. प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 (PSKSA) में अभियान अवधि दिनांक 02.10.2021 से दिनांक 30.09.2023 में से दिनांक 31.08.2023 तक की प्रगतनुसार पूर्व 07 संभागों में स्थित समस्त प्राधिकरण/न्यास/निगम/परिषद/पालिका/स्थानीय निकायों में कार्यरत/कार्यरत रहे अधिकारियों/कार्मिकों (जो अभियान से संबंधित रहे हों) में से नाम प्रस्तावित किये जायेंगे।
2. नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अधीन प्राधिकरण/न्यास के अधिकारियों/कार्मिकों का चयन संभागीय प्रेक्षक एवं संयुक्त शासन सचिव-प्रथम, नविवि की समिति द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय के अधीन स्थानीय निकायों के अधिकारियों/कार्मिकों का चयन संभागीय प्रेक्षक एवं क्षेत्रीय उपनिदेशक की समिति द्वारा संयुक्त रूप से अपने कार्यक्षेत्र के संभाग हेतु किया जायेगा।
4. प्राधिकरण, न्यास, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका के अधिकारियों/कार्मिकों का चयन निम्न प्रारूप में संभागवार प्रस्तुत किया जाना है :-

जयपुर/अजमेर/जोधपुर विकास प्राधिकरण हेतु प्रारूप

क्र. सं.	कार्यरत अधिकारी/कार्मिक का पदनाम	जेडीए/एडीए/जो डा	अधिकारी/कार्मिक का नाम	अधिकारी/कार्मिक का संवर्ग	कार्यरत/कार्यरत रहे अधिकारी/कार्मिक की कार्य अवधि का विवरण।	प्रस्तावित अधिकारी/कार्मिक की उपलब्धियाँ
1.	उपायुक्त					
2.	जोन में कार्यरत डीटीपी/एटीपी/टीपीए/प्रारूपकार					
3.	जोन में कार्यरत राजस्व शाखा के अमीन/पटवारी					
4.	जोन में कार्यरत सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता					
5.	मंत्रालयिक कर्मचारी / लेखा कर्म					

नगर विकास न्यास हेतु प्रारूप

क्र. सं.	कार्यरत अधिकारी/कार्मिक का पदनाम	नगर विकास न्यास	अधिकारी/कार्मिक का नाम	अधिकारी/कार्मिक का संवर्ग	कार्यरत/कार्यरत रहे अधिकारी/कार्मिक की कार्य अवधि का विवरण।	प्रस्तावित अधिकारी/कार्मिक की उपलब्धियाँ
1.	सचिव/उपसचिव/विशेषाधिकारी(ओएसडी)					
2.	न्यास में कार्यरत डीटीपी/एटीपी/टीपीए/प्रारूपकार					
3.	न्यास में कार्यरत राजस्व शाखा के अमीन/पटवारी					
4.	न्यास में कार्यरत सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता					
5.	मंत्रालयिक कर्मचारी / लेखा कर्म					

नगर निगम एवं नगर परिषद हेतु प्रारूप

क्र. सं.	कार्यरत अधिकारी/ कार्मिक का पदनाम	नगर निगम एवं नगर परिषद	अधिकारी/ कार्मिक का नाम	अधिकारी/ कार्मिक का संवर्ग	कार्यरत/ कार्यरत रहे अधिकारी/ कार्मिक की कार्य अवधि का विवरण।	प्रस्तावित अधिकारी/ कार्मिक की उपलब्धियाँ
1.	आयुक्त					
2.	आयोजना शाखा के कार्मिक डीटीपी/ एटीपी/ टीपीए प्रारूपकार					
3.	राजस्व शाखा के अधिकारी आर.ओं./ आर.आई./ ए.आर.आई.					
4.	अभियांत्रिकी शाखा के कार्मिक अधिशाषी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता/ कनिष्ठ अभियन्ता					
5.	मंत्रालयिक कर्मचारी	लेखाकर्म				

नगर पालिका हेतु प्रारूप

क्र. सं.	कार्यरत अधिकारी/ कार्मिक का पदनाम	नगर पालिका	अधिकारी/ कार्मिक का नाम	अधिकारी/ कार्मिक का संवर्ग	कार्यरत/ कार्यरत रहे अधिकारी/ कार्मिक की कार्य अवधि का विवरण।	प्रस्तावित अधिकारी/ कार्मिक की उपलब्धियाँ
1.	अधिशाषी अधिकारी					
2.	आयोजना शाखा के कार्मिक डीटीपी/ एटीपी/ टीपीए/ प्रारूपकार					
3.	राजस्व शाखा के अधिकारी आर.ओं./ आर.आई./ ए.आर.आई.					
4.	अभियांत्रिकी शाखा के कार्मिक अधिशाषी अभियन्ता/ सहायक अभियन्ता/ कनिष्ठ अभियन्ता					
5.	मंत्रालयिक कर्मचारी	लेखाकर्म				

1. प्रत्येक संभाग में स्थित प्राधिकरण, न्यास, नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका के संवर्ग अनुसार 02-02 अधिकारियों/ कार्मिकों का चयन किया जाना प्रस्तावित है।
2. अधिकारियों/ कार्मिकों के नाम अनिवार्यतः दिनांक 05.09.2023 तक सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।
3. चयनित अधिकारियों/ कार्मिकों को राज्य सरकार के स्तर पर सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है।

(संचिता बिश्नोई)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम  
नगरीय विकास विभाग

(हर्षिता शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव  
स्वायत्त शासन विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान।
7. संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग।
8. सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास।
9. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु
11. समस्त प्रेक्षक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम